न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०...... 779/2024

(कंप्यूटर रजि०नं० 2885/2024)

सरकार बनाम अनुज चौधरी आदि

अंतर्गत धारा–103(1)सपठित धारा–3(5)बी०एन०एस०

एवं 27 आयुध अधि०

थाना–नन्दग्राम गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–612/2024

<u>आरोप</u>

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण अनुज चौधरी एवं ओमवीर को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 11.07.2024 को समय करीब 10.15 पी०एम०बजे स्थान साँची फार्म हाउस के पास अंतर्गत सीमा थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण द्वारा दो अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी के भाई नवीन चौधरी एवं चचेरे भाई विकास चौधरी को फोन करके साँची फार्म हाउस पर बुलाया तथा आते ही उन दोनों की हत्या करने के आशय से दोनों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किया तथा उक्त दोनों की दौरान इलाज यशोदा अस्पताल में मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा धारा–103(1)सपठित धारा– 3(5)बी०एन०एस० के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त अनुज चौधरी द्वारा सह अभियुक्त के साथ अपनी पिस्टल से नवीन चौधरी को गोली मारने के पश्चात् दिनांक 12–07–2024 को आप अभियुक्त अनुज चौधरी को चैकिंग के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आपके द्वारा उक्त घटना में प्रयुक्त अपनी पिस्टल .32 बोर अपने साथी सह अभियुक्त राजा शर्मा उर्फ अरविन्द शर्मा को दिए जाने का कथन किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा धारा–27 आयुध अधि०के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 27.01.2025

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 27.01.2025

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2025.01.28 16:45:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court